Districts	Number on live Register (In Thousands)
14. Gwalior	67.1
15. Guna	21.0
16. Hoshangabad	41.6
17. Indore	75.6
18. Jabalpur	135.0
19. Bastar	46.1
20. Jhabua	17.4
21. Khandwa	30.3
22. Mandla	45.4
23. Mandsaur	27.7
24. Narshimpur	18.8
25. Panna	15.4
26. Raipur	114.3
27. Rajnandgaon	54.9
28. Rajgarh	46.5
29. Rewa	65.7
30. Raisen	18.0
31. Rajgarh	17.3
32. Ratlam	19.4
33. Seoni	33.6
34. Shahdol	36.5
35. Ratlam Sidhi	30.9
36. Saina	39.9
37. Sagar	47.5
38. Sehore	17.4
39. Shivpuri	17.8
40. Shajapur	19.1
41. Tikamgarh	23.9
42. Vidisha	20.9
43. Khargaon	58.9
44. Ujjain	42.7
45. Morena	46.5
TOTAL :	2045 3

NOTE :—1. All the job-seekers on the live register are not necessarily unemployed.

2. Figures may not add up to total due to rounding off.

श्रम कानूनों के अन्तर्गत विद्युतकरघा एककों का लाया जाना

1849. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युतकरघा एककों की ओर से कामगारों के हितों की रक्षा के लिये देश में विद्युतकर्घा एककों को श्रम कानूनों एवं कारखाना अधिनियम के दायरे में लाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को सम्पूर्ण देश में विद्युतकरघा इकाईयों में नियोजित कर्मकारों पर श्रम तथा कारखाना कानूनों की अनुपयोज्यता से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

10 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली विद्युतकर्घा इकाईयां कारखाना अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित "कारखाना" शब्द की परिभाषा के अधीन स्वतः ही आ जाती हैं। 10 से कम कर्मकारों को नियोजित करनेवाली इकाईयों को भी संबंधीत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कारखाना अधिनियम के अधीन शामिल कर सकती है। नीति के रूप में सभी जोखिमकारी कारखाने, बिना इस बात पर विचार किये कि उसमें कितने कर्मकार नियोजित हैं, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत शामिल है। कुछराज्य सरकारों जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने कारखाना अधिनियम के अधीन विद्युतकरघा क्षेत्र को "कारखानों" के रूप में अधिसूचित किया है। 10 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली तथा अधिसूचित क्षेत्रों में अवस्थित विद्युतकरघा इकाईयां भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन शामिल किए जाने योग्य हैं। इसी प्रकार 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले विद्युतकरघे भी कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन शामिल करने योग्य हैं। अनेक राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की हैं।

राज्य सरकारों से क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों की समुचित कार्यदशायें तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए श्रम विनियमनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

Withdrawal of Incentives for Employing *Child Labour*

1850. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are considering withdrawal of incentives to industries employing child labour in contravention of the existing laws;

(b) if so, whether Government also propose to extend the concept of the National Labour Project to child labour in hazardous industries;

(c) if so, the salient features of the steps being taken by Government in this respect and which are the industries involved in the use of child labour; and

(d) what other infrastructure is being created to develop parents' vocational skills so that they could have additional income as part of the child labour elimination?